न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 478/16 निर्णय दिनांकः– 23–01–2020
(आरसीएमएस संख्या 2016/00395)

1. जसवन्त सिंह पुत्र गजराजसिंह जाति राजपूत निवासी थैलासर तहसील व जिला चूरू।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 29–07–1995
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 29–07–1995 जिसके द्वारा अपीलांट् का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूत पेश नहीं होने के कारण खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् द्वारा तहसील कोलायत में चक 3 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 89/63 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को भूमि आवंटन का पात्र भी मान लिया गया था। परन्तु बाद में पर्याप्त सबूत पेश नहीं करने के कारण अपीलांट् के आवंटन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में अपीलांट् को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट् ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा जब भी आवंटित किया जायेगा आपको जरिये नोटिस सूचित कर दिया जायेगा। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को बिना नोटिस जारी किये व बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये अपीलांट् का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–07–1995 के विरूद्व अपील दिनांक 15–01–16 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट् का आवंटन प्रार्थना पत्र पर्याप्त सबूत पेश नहीं करने के कारण खारिज किया चुका है। अतः अब अपीलांट् किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–07–1995 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 15–01–2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट् ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए चक 03 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 89/63 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट् द्वारा पर्याप्त सबूत पेश नहीं करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट्स की माता का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवेदन को खारिज करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा वांछित सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जोकि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी आदेश से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवेदन पत्र जोकि वर्ष 1993 को प्रस्तुत किया गया था, उसके दो वर्ष की अवधि तक अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा अचानक अपीलांट की पत्रावली को पेशी पर लेते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया गया। जो किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29—07—1995 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत/बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त भूमि आराजीराज दर्ज होने व अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं होने की स्थिति में विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 29—01—2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.14 15:29:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: